



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36507

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5452 वर्ष 2026

उमाशंकर सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बच्चा सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सीएससी, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से स्वयं को व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। 3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, न्यायिक तहसील सदर, जिला बलिया को यह निर्देश दिया जाए कि वे उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (यू.पी.जेड.ए. और एल. आर. अधिनियम) की धारा 229B के तहत दायर वाद संख्या टी202515090310419 का शीघ्रता से निस्तारण करें।
4. यह मामला प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष काफी लंबे समय से लंबित है और यद्यपि काफी समय व्यतीत हो चुका है, तथापि आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, न्यायिक तहसील सदर, जिला बलिया उपर्युक्त वाद का निस्तारण विधि के पूर्णतः अनुरूप, शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर करें; किंतु ऐसा करते समय, जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन (स्टे) प्रदान न किया जाए।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया है।

18 फरवरी, 2026

सकलैन

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)